जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 10/2017 अनवानी श्री हरदेव सिंह पुत्र श्री साधु सिंह मार्फत राज भूपेन्द्र सिंह निवासी मकान न0 2–जी–5 सद्भावना नगर, श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर

10/2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

03–04–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री हरदेव सिंह उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 08.12.2016 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर से लक्ष्मण सिंह वगैरा के नाम जारी सनद सं0 10185 एवं आदेश की प्रमाणित प्रति चाही गई थी जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा एक माह से अधिक का समय व्यतीत होने के बावजूद भी उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जाने का आदेश दिया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.12.2016 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर से निम्न सूचना चाही थी:–

1. Appendix XV - Rule 68 - Government of India in the Ministry of Rehabilitation N0. S-III&S (I & III" dated 6-4-55 issued under section 12 of the Displaced person (Compensation and Rehabilitation Act) of 1954 (44 of 1954) के अन्तर्गत जारी सनद् पत्रावली संख्या 10185 डिस्पेच नम्बर 7388 दिनांक 05.07.74 लक्ष्मण सिंह, इन्द्र सिंह पुत्र सौदागर सिंह उर्फ सरदार सिंह निवासी चक 7 ईईए तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के नाम से जारी सनद पत्रावली 10185 कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर डिस्पेच 1828 दिनांक 30.08.1994 द्वारा उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय, श्रीकरनपुर में भिजवाई जा चुकी है उक्त सनद की प्रमाणित प्रति।
2. सनद् संख्या 10185 डिस्पेच नम्बर 7388 दिनांक 05.07.74 द्वारा जारी की गई थी उक्त सनद् को जारी करने हेतु दिये गये आदेश की प्रमाणित प्रति।

अपीलार्थी के अपीलपत्र पर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकनपुर ने अपना प्रतिवेदन सं0 2065 दिनांक 02.03.17 निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:–

उपरोक्त विषयान्तर्गत अपील लोक सूचना का अधिकार संख्या 10/2017 हरदेवसिंह बनाम उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर तारीख पेशी 15.02.17 नियत थी। उक्त प्रकरण के परिपेक्ष्य में आप द्वारा दूरभाष पर दिये गये निर्देशो की पालना में अपीलार्थी हरदेवसिंह पुत्र साधुसिंह द्वारा पुनर्वास विभाग द्वारा पारित सनद पत्रावली 10185 दिनांक 04.07.1974 तत्कालीन पुर्नवास अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा आवंटी लछमन सिंह–इन्द्र सिंह पि0 सरदार सिंह निवासी 7 ईईए को पारित की गई थी। उक्त सनद की प्रमाणित प्रति चाही गई है।

जिला कार्यालय के पत्रांक 1828 दिनांक 27.07.1994 द्वारा नि0 डीपी प्र0स0 49/89 ज्ञान सिंह बनाम डीआरओ निर्णय दिनांक 17.08.1994 के साथ संलग्न सनद पत्रावली इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने का अंकन है।

चूंकि उक्त प्रकरण दिनांक 30.08.1994 को इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने का अंकन है। कार्यालय के पत्र प्राप्ति पंजिकाओं का ढूंढवाया जा रहा है। अपीलार्थी से अभिलेख तलाश करने संबधित पत्राचारों की प्रतियां प्राप्त की गई है। सनद पत्रावली शीघ्र तलाश की जाकर जिला अभिलेखागार में नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। वांछित अभिलेख की प्रति अपीलार्थी बाद तलाश पत्रावली रिकार्ड में जमा होने के बाद प्राप्त कर सकेंगे। कार्यालय के संबधित कर्मचारीगण के पत्रावली तलाश करने हेतु पाबंद कर दिया गया है। कृपया इस प्रकरण को पत्रावली तलाश हेतु समुचित समय प्रदान करे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरनपुर के उक्त प्रतिवेदन के अनुसार सूचनाओ से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नही होने के कारण उसे सूचना नही दी जा सकी है एवं पत्रावली तलाश की जा रही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर को आदेश दिया जाता है कि इस आदेश प्राप्ति से 15 दिवस के भीतर–भीतर संबंधित रिकार्ड तलाश करवाया जाकर अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांए यदि देय बनती है तो नियमानुसार प्रार्थी को निशुल्क उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरनपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 03.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर